5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

OP15 53

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र0 /05 पुनरीक्षण

R 2003-ए/05

28 NOV 2005

1- महिला विद्यादेवी पत्नि स्वर्गीयश्री सम्पूर्णानन्द निवासी पोहरी तहसील पोहरी जिला-शिवपुरी म0प्र0

2- प्रेमचन्द पुत्र स्व0 सम्पूर्णानन्द शर्मा निवासी देवरी खुर्द तहसील पोहरी जिला शिवपुरी म0प्र0

--- आवेदकगण

विरूद्ध

1- महिला ओमवती बेवा स्वर्गीय श्री ब्रम्हानंद शर्मा

2- महिला हेमलता पुत्री स्वर्गीय श्री ब्रम्हानंद शर्मा निवासीगण कृष्णागंज पोहरी तहसील पोहरी जिला शिवपुरी म0प्र0

--- अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 57/04-05/अपील में पारित आदेश दिनांक 20-6-05 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत पुनरीक्षण आवेदन ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय एवं तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधो के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया अपास्त किये जाने योग्य है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2003–एक/2005 जिला– शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21 –7–2016	आवेदक अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। उनके द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर, संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्र0 57/04–05/अपील में पारित आदेश दिनांक 20.06.05 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता अधिनियम 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रिजौदा स्थित विवादित भूमि जिसका पटवारी हल्का नम्बर 53 के खाता नम्बर 132 वर्ष 2000–01 कुल किता 4 रकबा 1.78 है0 के बटवारे के संबंध में अनावेदिकागण द्वारा संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत तहसील न्यायालय पौहरी के समक्ष आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय पौहरी ने प्रकरण क्रमांक 20/2003–04/अ–27 दर्ज किया तथा दिनांक 05.06.2004 को प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुये बटवारा का आदेश पारित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पौहरी के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की जो प्रकरण क्रमांक 24/2003–04/अपील पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 20.10.2004 को अपील स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय के द्वारा पारित बटवारे के आदेश को निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी पौहरी के आदेश दिनांक 20.10.2004 के विरूद्ध	

अनावेदिकागण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त ग्वालियर के न्यायालय में पेश किया गया । न्यायालय अपर आयुक्त के यहॉ प्ररकण क्रमांक 57/2004–05/अपील पंजीबद्ध किया गया, जिसमें दिनांक 20.06.2005 को द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई और प्रकरण का निराकरण व्यवहार न्यायालय में कराने के निर्देश दिये गये । अपर आयुक्त के उक्त आदेश दिनांक 20.06.2005 से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसमें तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण के द्वारा धारा 178 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर 1/2 हिस्सा पर बंटवारा किये जाने किये बावत आवेदन पेश कर निवेदन किया । तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण हितबद्ध पक्षकार को सूचना दिये बिना बटवारा आदेश पारित कर दिया था। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर उचित आदेश पारित किया । तहसील न्यायालय के द्वारा प्रकरण में इश्तहार विधिवत जारी नहीं किया । आवेदक को आहूत नहीं किया । आवेदकगण की सहमति फर्द बटवारा पर नहीं ली गई थी । फर्द बटवारा का सार्वजनिक प्रकाशन भी नहीं कराया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण को बगैर सुने एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर विधि के

विरूद्ध आदेश पारित किया गया । उन्होंने तर्क में यह भी बताया है कि वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कृतिर्ष नहीं की न ही उनका कभी कब्जा रहा न ही उनको उक्त भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त है । ऐसी स्थिति में अनावेदकगण को उक्त भूमि का बटवारा कराने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था । ऐसे अक्षम आवेदन पर प्रारंभ की गई कार्यवाही अवैध होकर शून्य है । वादग्रस्त भूमि पर अनावेदकगण का कोई स्वत्व नहीं है, उक्त भूमि पर आवेदकगण का आधिपत्य है उनको उक्त भूमि पर भूमि स्वामी स्वत्व प्राप्त हो गये है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर स्वत्व संबंधी प्रश्न उत्पन्न होने से अनावेदकगण को सिविल न्यायालय से सर्वप्रथम स्वत्व का निराकरण कराना होगा । तत्पश्चात ही वह बटवारा कराने का अधिकार रखता है । जब तक अनावेदकगण का स्वत्व निर्धारित नहीं हो जाता तब तक उसे उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का हक प्राप्त नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार की जावे ।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित । उनके द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण वर्ष 2005 से अर्थात लगभग 11 वर्ष से लंबित

है। इस प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख प्राप्त हो गये हैं, परन्तु विचारण न्यायालय तहसीलदार नरवर, जिला–शिवपुरी का अभिलेख अप्राप्त है। विचारण न्यायालय के अभिलेख मंगाने हेतु कई बार पत्र जारी किये गये। किन्तु प्रकरण उपलब्ध नहीं हो पाये है। चूंकि यह प्रकरण तहसीलदार के अभिलेख के अभाव में लंबित रखा गया, किन्तु अब प्रकरण लंबित रखना उचित नहीं है क्योंकि तहसील न्यायालय 11 वर्ष बीत जाने के पश्चात अब और अधिक समय तक प्रकरण को लंबित रखना भी न्यायोचित नहीं है इसलिए प्रकरण का निराकरण उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर ही किया जा रहा है।

6/ प्रकरण में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि इस प्रकरण में सबसे पूर्व इस प्रश्न का निराकरण किया जाना है कि क्या इस मामले में कोई स्वत्व संबंधी विवाद विद्यमान है? तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किये गये बटवारे के आवेदन व उसके साथ प्रस्तुत खतौनी की प्रतिलिपि से यह बात स्पष्ट होती है कि स्वत्व संबंधी किसी विवाद का उसमें उल्लेख नहीं था। प्रकरण के अवलोकन से आवेदक की तहसील न्यायालय में उपस्थिति का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है । प्रकरण में जारी किये गये इश्तहार से यह विदित नहीं होता है कि इसका प्रकाशन कब हुआ है, जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय ने इसे त्रुटिपूर्ण माना है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बटवारे की कार्यवाही में हुई अनियमितताओं/अवैधानिकताओं का जो उल्लेख किया गया है वे सभी सही है । इनको

इस अपील में चुनौती नहीं दी गई है । केवल यही कहा गया है कि विचारण न्यायालय के द्वारा बटवारा की कार्यवाही विधिनुकूल तरीके से की गई है । जहॉ तक स्वत्व का प्रश्न है, केवल आवेदक के द्वारा अपील में स्वत्व संबंधी विवाद की बात करने मात्र से स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न होना नहीं माना जा सकता है । इस तरह से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा स्वत्व संबंधी विवाद की परिकल्पना कर पक्षकारों को व्यवहार न्यायालय से उसका निराकरण कराने का निर्देश देने का आदेश कतई न्यायोचित नहीं लगता है । बटवारे की कार्यवाही में यदि दूसरे पक्ष को सूचना होती तो वह अपना पक्ष रख सकता था और फर्द बटवारा उनमें आपसी समक्ष से तैयार हो जाती तो बटवारा की कार्यवाही विधिवत हो सकती थी । मेरे मतानुसार तहसील न्यायालय की बटवारे की कार्यवाही पूरी तरह से विधिनुकूल नहीं हुई है जिसकी अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी पौहरी द्वारा पुष्टी की गई है । किन्तु उनके द्वारा प्रकरण बटवारे के लिए विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित करने के बजाय स्वत्व संबंधी विवाद के निराकरण के लिये व्यवहार न्यायालय में वाद संस्थित करने का निर्देया देकर बटवारे के मामले को इस स्तर पर समाप्त कर दिया, जो कि विधि के विपरीत है । न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसील न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का जो आदेश पारित किया है वह न्यायोचित है । अतः मैं अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के द्वारा निकाले गये निष्कर्ष से सहमत हूँ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 20.06.2005 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है । अभिलेख दाखि रिकॉर्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य